



Neutral Citation No. - 2026:AHC:46180

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या 6899/2026

श्रीमती जादवती देवी

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: मुकेश कुमार पांडे, प्रवीण कुमार शर्मा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी पक्ष को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी पक्ष इस आदेश से व्यथित हो तो उसका आदेश में संशोधन/परिवर्तन की प्रार्थना करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगा गया मूल अनुतोष यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/नायब तहसीलदार, तहसील पडरौना, जिला कुशीनगर को नामांतरण वाद संख्या टी202105440103839, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के अंतर्गत, निर्धारित अवधि के भीतर विनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, ऐसे आवेदनों को समयबद्ध अवधि के भीतर विनिश्चित किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) निम्नानुसार है:-



"(7). तहसीलदार निर्विवाद नामांतरण वाद को वाद के पंजीकरण की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर और विवादित नामांतरण वाद को 90 दिन की अवधि के भीतर विनिश्चित करने का प्रयास करेगा तथा यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है तो उसका कारण अभिलिखित किया जाएगा।"

5. यह भी तर्क दिया गया है कि यद्यपि उक्त अवधि पहले ही व्यतीत हो चुकी है, तथापि आज तक मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

6. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका इस अंतिम निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/नायब तहसीलदार, तहसील पडरौना, जिला कुशीनगर उक्त वाद को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, जब तक कोई विधिक अड़चन न हो, विनिश्चित करे।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

27 फ़रवरी, 2026

शकलैन